भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1042

सोमवार, 02 दिसम्बर, 2024 / 11 अग्रहायण, 1946 (शक)

ई-श्रम कार्ड के अंतर्गत लाभ

1042. श्री बी. वाई. राघवेन्द्रः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक राज्य में और विशेषकर शिमोगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ई-श्रम कार्ड के अंतर्गत नामांकित व्यक्तियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) ई-श्रम कार्डधारकों को वर्तमान में उपलब्ध लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की ई-श्रम कार्ड के अंतर्गत वर्तमान में पंजीकृत निर्माण कर्मकारों को दिए जा रहे लाभों का असंगठित क्षेत्र के अन्य वर्गों तक विस्तार करने की कोई योजना है; और

(घ) सरकार द्वारा ई-श्रम कार्ड पहल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण को बढ़ाने के लिए कौन से कदमों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): दिनांक 26 नवंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम पोर्टल पर 30.42 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों का पंजीकरण किया गया है जिसमें कर्नाटक राज्य में 1.02 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार शामिल हैं। कर्नाटक राज्य के लिए जिलावार पंजीकरण अनुबंध के रूप में संलग्न है।

लाभ प्रदान करने के लिए, ई-श्रम पोर्टल का निम्नलिखित पोर्टल/योजनाओं के साथ एकीकरण/मैपिंग किया गया है:

(i). ई-श्रम को राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। कोई असंगठित कामगार अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) का उपयोग कर एनसीएस पर पंजीकरण कर सकता है और उपयुक्त नौकरी के अवसरों की खोज कर सकता है। एनसीएस पर निर्बाध रूप से पंजीकरण करने हेतु ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरणकर्ताओं को विकल्प/लिंक भी प्रदान किया गया है।

(ii). ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) के साथ एकीकृत किया गया है। पीएम-एसवाईएम असंगठित कामगारों के लिए एक पेंशन योजना है जिनकी आयु 18-40 वर्ष के बीच है। यह योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपये की मासिक पेंशन

प्रदान करती है। यूएएन नंबर का उपयोग करके, कोई भी असंगठित कामगार आसानी से पीएम-एसवाईएम के तहत नामांकन कर सकता है। इस योजना में अंशदान का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा शेष अंशदान कामगार द्वारा किया जाता है।

(iii). प्रवासी कामगारों के परिवार के विवरण को दर्ज करने के लिए ई-श्रम पोर्टल में प्रावधान जोड़ा गया है।

(iv). ई-श्रम में निर्माण कामगारों के आंकड़ों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा करने का प्रावधान जोड़ा गया है ताकि संबंधित भवन और अन्य निर्माण कामगार (बीओसीडब्ल्यू) बोर्डों में उनके पंजीकरण को सुविधाजनक बनाया जा सके।

(v). असंगठित कामगारों को कौशल वृद्धि और प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए, ई-श्रम को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

(vi). ई-श्रम को माय-स्कीम पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है। माय-स्कीम एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं की वन-स्टॉप सर्च और खोज करने की सुविधा प्रदान करना है। यह नागरिक की पात्रता के आधार पर योजना की जानकारी खोजने के लिए एक प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान प्रदान करता है।

असंगठित कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं तक पहुंच के लिए “वन-स्टॉप-सॉल्यूशन”के रूप में विकसित करने पर हाल ही में बजट घोषणा के विजन को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का शुभारम्भ किया। ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एकल पोर्टल अर्थात् ई-श्रम पर एकीकृत करना शामिल है। इससे ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्राप्त करने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने में मदद मिलती है।

अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की 12 योजनाओं को पहले ही ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, इन योजनाओं में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), पीएम आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू), पीएम आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) शामिल हैं।

*

*****

अनुबंध

'ई-श्रम कार्ड के अंतर्गत लाभ' के संबंध में श्री बी. वाई. राघवेन्द्र द्वारा दिनांक 02.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1042 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

कर्नाटक राज्य के लिए ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों का जिला-वार पंजीकरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**जिला**	**कुल पंजीकरण**
1	बेलगावी	9,50,694
2	कलबुर्गी	6,19,945
3	विजयपुरा	5,78,315
4	बेंगलुरु अर्बन	4,77,971
5	बेल्लारी	4,70,839
6	मैसूर	4,53,320
7	रायचूर	4,16,801
8	बागलकोट	4,15,109
9	बीदर	3,95,023
10	तुमकुरु	3,94,687
11	हावेरी	3,63,685
12	धारवाड़	3,52,742
13	शिवमोगा	3,40,706
14	दावणगेरे	3,15,304
15	मंड्या	3,05,875
16	चित्रदुर्ग	2,99,487
17	उत्तर कन्नड़	2,98,848
18	हासन	2,77,496
19	यादगीर	2,67,195
20	कोप्पल	2,60,961
21	कोलार	2,47,103
22	दक्षिण कन्नड़	2,43,832
23	चिक्कबल्लपुर	2,22,705
24	चामराजनगर	2,18,367
25	उडुपी	1,98,070
26	गडग	1,93,977
27	चिक्कमगलुरु	1,93,649
28	बेंगलुरु रूरल	1,74,609
29	रामनगर	1,74,476
30	विजयनगर	85,448
31	कोडागू	62,016
	कुल	**1,02,69,255**

*****